pending completion and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

BICP recommendations with regard to sugar industry

2100. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the Centre has examined the report of Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) to facilitate the reworking of the Licencing Policy for sugar sector;

(b) what are the salient features in the BICP recommendations in regard to fixing of free sale quota in high recovery areas and exemption of levy on expanded capacity; and

(c) the reaction of Indian Sugar Mills Association (ISMA) and National Federation of Cooperative Sugar Factories in this regard?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) Ministry of Food has recently received a Report on Sugar Incentive Scheme from the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) for grant of incentives for new and expansion projects licensed/to be licensed during the period from 01-04-1994 to 31-03-1997. The Report is under examination.

विदेशी क्रेताओं को घटिया माल की आपूर्ति

2101. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1994-95 के दौरान घटिया स्तर की वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने के संबंध में क्रेताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी हां।

(ख) शिकायतें मुख्य रूप से सहमत उत्पाद विनिर्देशनों का अनुपालन नहीं करने और खाद्य मदों जल्दी खराब होने वाली मदों में खराबी अथवा प्रदूषण के बारे में थी।

(ग) गुणवत्ता शिकायतों संबंधी क्षेत्रीय स्थायी समितियों का गठन अहमदाबाद, बंबई, बंगलौर, कलकत्ता, कोचीन दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना और मद्रास में किया गया है जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करती है। इन समितियों ने वर्ष 1994-95 में इस प्रकार की 66 शिकायतों का निपटान किया। वर्ष 1994-95 के दौरान 20 निर्यातकों के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की गई और 9 मामलों में वित्तीय दण्ड, वर्जन आयातक-निर्यातक कोड संख्या का निरसन, आदि की कार्यवाहियों के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

2102. **श्री मूलचन्द मीणा:**
श्री अजीत जोगी:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिए राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का विचार है;

(ख) इस विशेष योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के बाद अब तक कितनी महिलाओं को रोजगार दिया जा चुका है; और

(ग) सरकार चालू वर्ष के दौरान इन प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के खोले जाने की संख्या निम्नलिखित है:— आंध्र प्रदेश-13, असम-3, गुजरात-4, हरियाणा-5, केरल-5, मध्य प्रदेश-10, उत्तर प्रदेश-9,